

बिहार सरकार
कृषि विभाग

Fax/Mail

पत्र संख्या-3/कृ0-बजट-आवंटन-34/2014-105 (आवंटन) कृ0, पटना, दिनांक 17 वीं-2014

प्रेषक: रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य किसान आयोग को सहायक अनुदान मद में 100.00 लाख रु० (एक करोड़ रु०) की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य जाति के लिए 84.40 लाख रु० (चौरासी लाख चालीस हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप कुल ₹84,40,000 (चौरासी लाख चालीस हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या-4042 दिनांक-01.09.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य किसान आयोग को सहायक अनुदान मद में 100.00 लाख रु० (एक करोड़ रु०) की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य जाति के लिए 84.40 लाख रुपये व्यय हेतु स्वीकृति हुई है इस स्वीकृत राशि से व्यय हेतु कुल ₹84,40,000 (चौरासी लाख चालीस हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित ₹84,40,000 (चौरासी लाख चालीस हजार रुपये) मात्र की राशि मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0113-राज्य किसान आयोग, विपत्र कोड-P2401000010113 राज्य योजना, स्कीम कोड-AGR-5030 विषयशीर्ष-31.04-सहायक अनुदान वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित 84.60 लाख रु० से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाषी,

(15/09/14)

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

105 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 17 वीं-2014

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/09/14)

सरकार के संयुक्त सचिव।

मनीष

ज्ञापक

105 (आवृत्ति)

/कृ०, पटना, दिनांक 17-09-2014

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार पटना / माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / सचिव कृषि के आप्त सचिव / संयुक्त सचिव कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, पी०पी०एम० / निदेशक, भूमि संरक्षण / निदेशक, उद्यान / निदेशक, बागवानी / मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन कृषि विभाग, बिहार पटना / संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना / आंतरिक वित्तीय सलाहकार / अवर सचिव, राज्य किसान आयोग बिहार पटना / बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना / आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

मेल